संख्या-1110/78-2-2014-53आई.टी./2012

प्रेषक,

जी0एस0 प्रियदर्शी,
विशेष सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त ज़िलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

आई.टी. एवं इले. अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक:01 अक्टूबर, 2014

विषयः- ई-डिलीवरी के माध्यम से आम नागरिकों को प्रदान की जा रही शासकीय सेवाओं हेतु प्रयोक्ता प्रभार (यूज़र चार्जेज़) के रूप में प्राप्त की जा रही धनराशि के व्यय की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जन सेवा केन्द्रों, लोकवाणी केन्द्रों, जन सुविधा केन्द्रों इत्यादि से ई-डिलीवरी के माध्यम से प्रदान की जा रही शासकीय सेवाओं हेतु आम नागरिकों से लिये जाने वाले यूज़र चार्जेज़ एवं उसके विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के मध्य अंश वितरण की व्यवस्था निर्धारित करते हुये शासनादेश संख्या-1527/78-2-2013-53आई.टी./2012 दिनांक 20 फरवरी, 2013, शासनादेश संख्या-503/78-2-2013-53आई.टी./2012 दिनांक 04 अप्रैल, 2013 तथा शासनादेश संख्या-992/78-2-2013- 53आई.टी./2012 दिनांक 28.06.2013 निर्गत किये गये हैं जोकि आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग की वेबसाइट (http://infotech.up.nic.in) पर भी उपलब्ध हैं।

2. विभिन्न शासनादेशों के अनुपालन में दिनांक 01.04.2013 से प्राप्त किये जा रहे यूजर चार्जेज की धनराशि में से सर्विस सेन्टर एजेन्सीज द्वारा सरकारी स्टेक-होल्डर्स (सी.ई.जी., डिस्ट्रिक्ट ई-गवर्नेन्स सोसाइटी एवं सम्बन्धित विभागों) की अंश/धनराशि को सी.ई.जी. के बैंक खाते में जमा कराया जा रहा है। सी.ई.जी. द्वारा इस प्रकार प्राप्त धनराशि में से अपना अंश रोकते हुए शेष धनराशि में से डी.ई.जी.एस. के अंश/धनराशि को जनपदों की डी.ई.जी.एस. के बैंक खातों में प्रत्येक माह पूर्व के माह का अंश/धनराशि अन्तरित की जा रही है।

3. सरकारी स्टेक होल्डर्स द्वारा आम नागरिकों से प्रयोक्ता प्रभार (यूजर चार्जेज़) के रूप में प्राप्त की गयी धनराशि के व्यय की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु सम्यक विचारोपरान्त निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती हैः-

3.1 सी.ई.जी. द्वारा धनराशि का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये किया जाएगा-

3.1.1 राज्य स्तर पर विभिन्न योजनाओं यथा स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, स्टेट डाटा सेन्टर, स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे, स्टेट पोर्टल, ई-डिस्ट्रिक्ट आदि में स्थापित अवस्थापना सुविधाओं के अनुरक्षण/रखरखाव पर व्यय।

3.1.2 कार्मिकों के वेतन/पारिश्रमिक, भत्ते, मानदेय/पुरस्कार, यात्रा/टैक्सी आदि पर व्यय।

3.1.3 धनराशि के रखरखाव हेतु कन्सल्टेन्ट्स जैसे सर्विस टैक्स/इनकम टैक्स कन्सल्टेन्ट, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट आदि पर व्यय।

3.1.4 योजना से संबंधित प्रशिक्षण पर व्यय।

3.1.5 योजना के प्रचार-प्रसार एवं इससे सम्बन्धित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने पर व्यय।

3.1.6 शासकीय कर/देयता जैसे सेवाकर, आयकर आदि के भुगतान पर व्यय।

3.1.7 कार्यालय भवन के किराये/निर्माण/मरम्मत पर व्यय।

3.1.8 कार्यालय के संचालन के लिये आवश्यक कम्प्यूटर हार्डवेयर, साफ्ट्वेयर, अन्य आवश्यक उपकरणों के क्रय तथा उनके अनुरक्षण एवं रखरखाव, विद्युत, टेलीफोन, पेपर, ईंक/टोनर कार्टेज, फर्नीचर आदि पर व्यय।

3.1.9 सी.ई.जी. के अधीन सम्मिलित किसी अन्य ई-गवर्नेन्स परियोजना से संबंधित व्यय।

3.1.10 अन्य सुसंगत विविध व्यय।

3.2 डी.ई.जी.एस. द्वारा धनराशि का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये किया जाएगा-

3.2.1 योजना के संचालन हेतु हार्ड-वेयर/साफ्टवेयर/नेटवर्किंग उपकरणों का क्रय एवं कनेक्टिविटी तथा हार्ड-वेयर/साफ्टवेयर/नेटवर्किंग उपकरणों एवं कनेक्टिविटी का अनुरक्षण/रखरखाव पर व्यय, इसके अतिरिक्त साफ्टवेयर के निर्माण/अद्यावधिकीकरण पर आने वाला अनुवर्ती व्यय।

3.2.2 केन्द्रों से ई-डिलीवरी के माध्यम से दिन प्रतिदिन प्राप्त हो रहे सेवा सम्बन्धी आवेदनों की प्रिन्टिंग पर व्यय।

3.2.3 योजना से सम्बद्ध कार्मिकों के यात्रा/टैक्सी, मानदेय/पुरस्कार आदि पर व्यय।

3.2.4 योजना से संबंधित प्रशिक्षण पर व्यय।

3.2.5 योजना के प्रचार-प्रसार एवं इससे सम्बन्धित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने पर व्यय।

3.2.6 शासकीय कर/देयता जैसे सेवाकर, आयकर आदि के भुगतान पर व्यय।

3.2.7 कार्यालय के संचालन के लिये आवश्यक विद्युत, टेलीफोन, सी.डी., पेपर, ईंक/टोनर कार्टेज, फर्नीचर आदि पर व्यय।

3.2.8 अन्य सुसंगत विविध व्यय।

3.3 जनपदों में डी.ई.जी.एस. के स्तर पर धनराशि का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु नहीं किया जाएगा-

3.3.1 पूंजीगत मद में यथा भवन निर्माण, वाहन आदि का क्रय।

3.3.2 किसी आवर्ती व्यय (रेकरिंग) की देयता का स्थायी रूप से सृजन।

3.3.3 ई-गवर्नेन्स से अतिरिक्त किसी अन्य योजना/प्रयोजन में।

उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(जी0एस0 प्रियदर्शी)
विशेष सचिव

संख्याः1110 (1)/78-2-2014 तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को, उ.प्र., अपट्रान विल्डिंग, गोमती नगर, लखनऊ।
2. राज्य समन्वयक, सेण्टर फॉर ई-गवर्नेन्स, उ.प्र., अपट्रान विल्डिंग, गोमती नगर, लखनऊ।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महेन्द्र प्रसाद भारती)
अनु सचिव